न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 359 / 2020(RCMS 2020 / 00494)

प्रार्थीगण

1. सन्तोष धर्म पत्नि भंवरलाल
2. सोनूदेवी धर्म पत्नि बालूराम जाति मेघवाल निवासी कुकनवाली तह. कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जगदीश प्रसाद पुत्र तुलछा जाति मेघवाली निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
2. गणपतराम पुत्र गोविन्दराम मेघवंशी निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी
4. बैंक मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

श्री विजयसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 26.8.2021

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 283 में प्रार्थीगण के हक हिस्से की आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण लगातार एवं निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण आजीविका कृषि कार्य कर रहा है, खसरा नम्बर 284 की भूमि अप्रार्थी सख्या 2 की भूमि है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 ने जब बंटवारा करवाया था तब कटाणी रास्ता देने की बात कही थी जिस पर मौके पर रास्ता आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 ने खोल दिया, प्रार्थीगण का रास्ता उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि आज दिन अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने मिलकर बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण के खेत में बाह जोत करने, मवेशियों के आने जाने एवं स्वयं के खेत की फसल की बाजार तक ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 283 मं जाने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 277 रकबा 0.06 कीक भूमि उत्तरी सीमा के सहारे सहारे आगे चलीत हुई घुमकर खसरा नम्बर 284 मे [illegible] खसरा नम्बर 284 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे चलते हुये रास्ता 283 [illegible] प्रार्थना पत्र में नक्शा ट्रेस पेश किया है जिसमें लाल स्याही से [illegible], प्रार्थीगण के रास्ते [illegible] उपयोग में आने वाली भूमि जो कि अप्रार्थीगण की भूमि में स[illegible]म होगी सकी निर्धा[illegible] प्रार्थीगण जमा कराने के तैयार है, अतः प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 से रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान कराने करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, तत्पश्चात किसी प्रकार का जवाब एवं वकालतनामा प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसने रास्ते में जाने वाली भूमि का मुआवजा रोकड़ी प्राप्त कर लिया है अब उक्त रास्ते के संबंध में उसे कोई आपत्ति नही है, प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि प्रार्थीगण को देने के लिए तैयार है एवं रास्ते की भूमि राजी खुशी देने के लिए सहमत है।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से मंगाई गई, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./1335 दिनॉक 11.12.2020 को आई.एल.आर. चितावा एवं पटवारी हल्का कुकनवाली द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 10.12.2020 इस कार्यालय में प्रेषित की है। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 283 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 284 में 28 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई अर्थात (**28 X 4 = 112 मीटर**) तथा खसरा नम्बर 277 में 30 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई अर्थात (**30 X 4 = 120 मीटर**) का रास्ता नजरी नक्शा अनुसार आता है, खसरा नम्बर 284 एवं 277 मं रास्ते की भूमि मे छोटा एवं बड़ा पेड़ नही है कुल 232 मीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार की सहमति तथा अनापत्ति प्रस्तुत नही की है अतः खसरा नम्बर 277 की भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 की हिस्से की रास्ते के उपयोग मे जाने वाली भूमि का मुआवजा नियमानुसार देय है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त मौका रिपोर्ट में भी सहमति के हस्ताक्षर नही किये है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, जिसमे प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को प्रार्थी वकील ने दौहराया है तथा नाले के रास्ते से आने जाने में दिनो में काफी परेशानी होती है, प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने एवं अपने ट्रेक्टर मवेशीयो को भी नही ले जाया जा सकता है इस कारण अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 283 में आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 284 एवं 277 में से होकर रास्ता चाहिए जिसके लिय डी.एल.सी. दर से मुआवजा प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी वकील ने कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 2 ने रास्ते के लिए मुआवजा नकद रूप में प्राप्त कर लिया है तथा अब किसी प्रकार का मुआवजे [illegible]रत नही है, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से किसी प्रकार का जवाब [illegible] मुआवजा राशि डी.एल.सी. दर अनुसार देय है। अतः प्रार्थ[illegible]कार काबिल होने एवं रिपोर्ट इत्यादि से भी प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित है। प्रार्थी [illegible] प्रार्थना–पत्र उक्त विवेचन से काबिल स्वीकार होने पर स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेश पारीत किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 283 मे आने जाने व आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 284 में 28 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा (**28 X 4 = 112**) वर्ग मीटर तथा खसरा नम्बर 277 में 30 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा (**30 X 4 = 120**) वर्ग मीटर मौका रिपोर्ट दिनॉक 10.12.2020 में अंकित अनुसार रास्ता सरकारी (कटाणी) कायम किया जाता है । उक्त जमीन की डी.एल.सी दर 653212/–रूपये प्रति हैक्टर से (653212 **X**0.0120मीटर) 7839/– का दोगुना अर्थात 15678/–रूपये अक्षरे – .पन्द्रह हजार छः सौ अठन्तर रूपये प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता की मुआवजा राशि जरिये बैंक डी.डी./बैंक ड्राफट बैंक से जमा कराकर पेश करने पर तहसीदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने तहरीर जारी हो । उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश प्रसाद पुत्र तुलछा मेघवाल निवासी कुकनवाली न्यायालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें । अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सहमति प्रदान करने से उसे किसी प्रकार की मुआवजा राशि देय नही है।

आदेश आज दिनॉक 26.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested